



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर
(Phone : 01572-294048 Help Line : 8306002137)
Email : dlsa32sikir@gmail.com, legalaidsikir@gmail.com

क्रमांक : 157

दिनांक : 30.05.26

प्रेषित : श्रीमान अध्यक्ष,

तालुका विधिक सेवा समिति,

नीमकाथाना / श्रीमाधोपुर / फतेहपुर / लक्ष्मणगढ़ / दांतारामगढ़ / रींगस।

विषय : नाल्सा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किए जाने बाबत।

संदर्भ : माननीय रालसा का पत्रांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधिवक्ता/डीएस-1/13661-13662 दिनांक 27.05.2026 एवं विज्ञप्ति क्रमांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./डीएस-प्रथम/373 दिनांक 27.05.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के संदर्भित पत्र द्वारा जिला एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं के पैनल बाबत विज्ञप्ति क्रमांक एफ2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./डीएस-प्रथम/373 दिनांक 27.05.2026 द्वारा संपूर्ण राजस्थान में दिनांक 30.05.2026 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

माननीय रालसा द्वारा सीकर न्यायक्षेत्र हेतु निर्धारित की गई पैनल अधिवक्तागण की अधिकतम संख्या निम्नानुसार है :

S.No.	Name of District HQ/Taluka/Court	Total Proposed Panel Advocate
1	Sikar HQ	6
2	Neemkathana	10
3	Shrimadhopur	4
4	Fatehpur	4
5	Laxmangarh	4
6	Dantaramgarh	6
7	Reengus	2
8	JM Dhod	2

9	JM Khandela	2
Total		40

अधीनस्थ न्यायालय (न्यायिक मजिस्ट्रेट धोद एवं खंडेला) जिन पर अभी तालुका विधिक सेवा समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां के पैनल गठन की संपूर्ण कार्यवाही माननीय रालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा संपादित की जाएगी।

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भित पत्रानुसार आवेदन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :

1. **“योग्यता एवं अनुभव”** : आवेदन करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण का वकालत का अनुभव “03 वर्ष से अधिक” होना अनिवार्य है।
2. **“आवेदन की विधि”** : योग्य अधिवक्तागण को जिलेवार ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र की “हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेजों सहित” संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।
3. **“आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक)”** : Hard Copy के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :
 1. बार काउंसिल द्वारा जारी सनद (Enrollment Certificate) की प्रति।
 2. वकालत का अनुभव प्रमाण-पत्र।
 3. कम से कम “05 प्रकरणों के निर्णय / अंतिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि”, जिनमें आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस/पैरवी की गई हो।
 4. जन्म तिथि का प्रामाणिक दस्तावेज।
 5. आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC, SBC या दिव्यांग) का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 6. अन्य उचित दस्तावेज
4. **“महत्वपूर्ण तिथियां”** :
 1. ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि – 30.05.2026
 2. हार्ड कॉपी मय दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि – 15.06.2026 को सांय 05 बजे तक
5. **“पैनल की श्रेणियां”** : जिला एवं तालुका स्तर पर (1) दाण्डिक, (2) सिविल, (3) राजस्व, तथा (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. वर्ग के लिए पृथक-पृथक पैनल

तैयार किए जाने हैं। चयन करते समय महिला, SC, ST, OBC, SBC एवं दिव्यांग अधिवक्तागण को आनुपातिक स्थान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. "चयन एवं प्रेषण" : तालुका स्तर पर राजकीय अधिवक्ता एवं विनियम 10(5) के अधीन गठित मॉनीटरी एवं परामर्शदात्री समिति से परामर्श कर पैनल तैयार किया जावेगा। तत्पश्चात, चयनित पैनल की सूची समस्त मूल दस्तावेजों व निर्णयों की प्रतियों सहित निर्धारित प्रारूप में "दिनांक 01.07.2026 को सांय 05:00 बजे तक" अनिवार्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय रालसा द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं रालसा के निर्देशों का अपने स्तर पर, बार एसोसिएशन के सूचना पट्ट तथा स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व अनुभवी अधिवक्तागण समय सीमा के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

संलग्न- विज्ञप्ति / माननीय रालसा के संदर्भित पत्र की प्रति/ऑनलाईन लिंक।

Link : <https://forms.gle/7J2t7AoQSNRKFxA7>

—८०—

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सीकर

क्रमांक : 154

दिनांक : 30.05.26

प्रलिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

01. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर।
02. श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डेला/धोद।
03. श्रीमान अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीकर।
04. श्रीमान अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, समस्त तालुका विधिक सेवा समिति, सीकर न्यायक्षेत्र जरिये अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति।
05. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
06. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन ई-कोर्ट वेबसाइट पर किया जाना सुनिश्चित करावे।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rsisajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/)

क्रमांक:—एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/ 373

दिनांक :- 27/5/2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों एवं अधिकरणों में प्रेषित करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक सेवा/योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु "पैनल अधिवक्ता" के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पात्रता :-

प्रत्येक विधि व्यवसायी या अधिवक्ता, जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम लगातार तीन वर्षों का विधि व्यवसायी के रूप में नियमित वकालत का अनुभव रखता हो।

नोट :-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड 'झ') में यथा परिभाषित से है।
2. पैनल (1) दाण्डिक (2) सिविल (3) राजस्व एवं (4) बाल न्यायालय/जे.जे.बी./पोक्सो/सी.डब्ल्यू.सी. वर्ग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा पृथक-पृथक तैयार किए जाएंगे।
3. सिविल पैनल में सभी सिविल प्रकृति के वाद एवं निष्पादन कार्यवाही, एमएसीटी क्लेम, वैवाहिक विवाद, किराया नियंत्रण अधिनियम, श्रम व नियोजन संबंधी विवाद, औद्योगिक विवाद, पर्यावरण संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद, रेल दावे के वाद, कर संबंधी विवाद, जेडीए. बकफ बोर्ड संबंधी, उपभोक्ता मंच, सेवा संबंधी मामले, सहकारित वाद, गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण, परिवहन अधिकरण, परिवहन अधिकरण संबंधी वाद तथा सभी न्यायालय/अधिकरण/मंच में लग्नित अन्य दीवानी प्रकृति के वाद शामिल रहेंगे।
4. दाण्डिक पैनल में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के वाद, घरेलू हिंसा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, पीसीपीएनडीटी, एसीडी न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, सीवीआई न्यायालय से संबंधित मामलों तथा अन्य सभी आपराधिक प्रकरण सम्मिलित है।
5. आवेदक द्वारा ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय/अंतिम आदेशों की सत्यपित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक होगा, जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो, परन्तु इसके अन्तर्गत -
 - (क) धारा-13बी, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के आदेश, जुर्म स्वीकारोक्ति से हुए निर्णय/आदेश, जमानत प्रार्थना-पत्रों पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों, पर दिए गए आदेश एवं अन्तर्वर्ती आदेशों को समाहित नहीं किया जाएगा, किन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्रों पर दिया गया अंतिम आदेश विचारार्थ उपयुक्त होगा।
 - (ख) 05 निर्णय/ अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में राजीनामों से निस्तारित अधिकतम 02 प्रकरणों के निर्णय/ आदेश/ अवॉर्ड विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
 - (ग) 05 निर्णय/अंतिम आदेशों की संख्या की गणना में जमानत प्रार्थना पत्रों पर दिए गए अधिकतम 02 आदेश विचारार्थ स्वीकार्य होंगे।
 - (घ) यदि निर्णय या आदेश में आवेदक के स्थान पर उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम अंकित है, तो उस स्थिति में यदि उस पत्रावली के वकालतनामों पर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर अंकित है और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सादे कागज पर यह प्रमाणित किया जाता है की बहस में उसके साथ आवेदक के द्वारा भी भाग लिया गया था, तो उस अंतिम आदेश को भी 05 निर्णय की संख्या में समाहित माना जाएगा।

- (ड) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा वे एक से अधिक प्राधिकरण/समिति के समक्ष आवेदन कर रहे हैं व ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा अन्य प्राधिकरण/समिति के समक्ष पेश की जा चुकी है, तो उन्हें ऐसे निर्णय/अंतिम आदेश की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनुमति दी जा सकेगी।
- (च) यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि उसके पास निर्णय/अंतिम आदेश की एकमात्र सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध है तथा चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् वे स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सत्यापित प्रतिलिपि के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की शर्त पर, चयन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त, सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई जा सकेगी।
6. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
 7. पैनल अधिवक्तागण को वितरित किए जाने वाले कार्यों की संख्या के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए पैनल अधिवक्तागण की संख्या नियत की गई है, जिसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण/समिति से प्राप्त की जा सकती है। पैनल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी., महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का यथा संभव अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
 8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) सेशोधन विनियम, 2018 के विनियम 8 के खण्ड (6) के अनुसार पैनल में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांग वकीलों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ध्यान रखा जायेगा।
 9. पैनल बनाते समय यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन योग्य पाए जाते हैं, जो प्राप्त आवेदनों में से यथासंभव अनुभव की वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित संख्या अनुसार पैनल अधिवक्तागण का चयन किया जाएगा तथा यदि 02 या अधिक आवेदक समान अनुभव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में युवा अधिवक्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।
 10. रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तैयार व तत्पर होना होगा।
 11. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध करवायेगा और किसी भी ऐसे प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें उसके द्वारा विपक्षी पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की गई हो।
 12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 एवं इस संबंध में राज्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पैनल अधिवक्तागण को मानदेय एवं अन्य खर्च देये होंगे।
 13. आवेदक इस तथ्य की अप्रडरेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किए जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उसके तहत बनाये गए नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालना करेगा। पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में, जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किए जावेंगे, वह उन संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
 14. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम एवं उनके अंतर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
 15. यदि नियुक्त पैनल अधिवक्ता के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है या उसके द्वारा अधिनियम और विनियम के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता

है, तो उससे उसको सौंपा गया कार्य/मामला वापस लिया जा सकेगा और साथ ही किसी भी समय बिना नोटिस दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी और उसके प्रति कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. नियुक्त पैनल अधिवक्ता को प्राधिकरण/समिति के द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक रहेगा।
17. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज:-

1. बार कॉउंसिल द्वारा जारी सनद की प्रति;
2. अनुभव प्रमाण-पत्र;
3. पांच प्रकरणों के निर्णय/अन्तिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो;
4. यदि आवेदक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. या दिव्यांग श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो संबंधित श्रेणी हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र;
5. जन्म दिनांक प्रमाण;
6. अन्य उचित दस्तावेज व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति (जिस स्थान के पैनल में सम्मिलित होना चाहता है), के कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विचारार्थ उपयुक्त नहीं माना जाएगा।

आज्ञा से



(हरि ओम अन्दी)

सादर सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:-एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/13663-680 दिनांक :- 27/05/2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ-समस्त न्यायालय/अधिकरण/मंच, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय / समस्त न्यायालय / तालुका विधिक सेवा समिति/अधिकरण/ मंच
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. वेबसाइट, रालसा/ जिला न्यायालय, समस्त राजस्थान



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर